भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3907
उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

एनईपी, 2020 का कार्यान्वयन

†3907. **श्रीमती प्रतिमा मण्डल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का देश में विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) सरकार किस प्रकार क्षेत्रीय भाषा आधारित शिक्षा को वैश्विक योग्यता मानकों के साथ संतुलित करने की योजना बना रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कर सकें; और
(ग) सरकार द्वारा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाठ्यक्रम समकालीन उद्योग की मांगों और प्रौद्योगिकीय प्रगति के लिए प्रासंगिक बने रहें?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 **(**एनईपी 2020**)** का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण अधिगम और उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर न खोए। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के सरोकारों को ध्यान में रखा गया है जिसमें महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य स्कूली शिक्षा में पहुँच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की घोषणा के बाद स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं।

एनईपी के कार्यान्वयन हेतु जागरूक करने और विचारों संबंधी चर्चा के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थाओं, अन्य हितधारकों के साथ कार्यशालाओं/परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों की

एक श्रृंखला समय-समय पर आयोजित की गई है; जैसे कि जून 2022 में गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन; जून 2022 में आयोजित मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन; अगस्त 2022 और जुलाई 2024 में आयोजित नीति आयोग की 7वीं और 9वीं शासी परिषद की बैठक; अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022, 2023 और 2024; दिनांक 12 और 13 नवंबर 2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के साथ उच्चतर और तकनीकी शिक्षा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से संबंद्धित जागरूकता और आउटरीच हेतु 84 केंद्रीय वित्तपोषित संस्थाओं के साथ एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। लगभग 400 राज्य विश्वविद्यालयों के साथ मैप किए गए इन सीएफआई की पहचान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर नियमित रूप से आउटरीच, सेमिनार, सम्मेलन या कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए की गई है। अब तक, उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों के सीएफआई की 3 कार्यशालाएँ क्रमशः दिनांक 28.11.2024, 05.12.2024 और 19.12.2024 को आयोजित की गई हैं।

(ख): 'शिक्षण और अधिगम में बहुभाषावाद और भाषा शक्ति का संवर्धन' एनईपी 2020 के मूल सिद्धांतों में से एक है । यह छात्रों को उनकी भाषा में अध्ययन करने का अवसर और बेहतर अधिगम परिणाम प्रदान करने हेतु प्रत्येक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषावाद को भी बढ़ावा देता है। उनकी अपनी भाषा में अध्ययन करने से छात्र को बिना किसी भाषाई बाधा के नवाचारी तरीके से सोचने के लिए स्वाभाविक स्थान मिल सकता है।

एनईपी 2020 में भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के अलावा, कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी जैसी विदेशी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रावधान है, ताकि छात्र विश्व की संस्कृतियों संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान और गतिशीलता को समृद्ध कर सकें। वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी) के महत्व को पहचानते हुए, एनईपी 2020 अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षार्थियों को वैश्विक मुद्दों के संबंध में जागरूक होने और उन्हें समझने के लिए सशक्त बनाने का प्रावधान करता है।

(ग): पाठ्यचर्या को समकालीन उद्योग की मांगों और तकनीकी प्रगति के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ़); राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा (एनएचईक्यूएफ़); अवर स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट रूपरेखा; उच्च शिक्षा संस्थानों को उद्योग विशेषज्ञों के साथ कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस संबंधी दिशानिर्देश आदि विभिन्न पहल/सुधार किए गए हैं। पाठ्यक्रम को कृषि, स्वास्थ्य और जैव-इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफ़एसआई), ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था, इंजीनियरिंग और विनिर्माण और उद्योग के क्षेत्र में एआई को 'फ्यूचर ऑफ वर्क' नौकरी की आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए भी अद्यतन किया जा रहा है। इसके अलावा, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों की पहचान करने और उन्हें शामिल

करने तथा शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी पेशकश का विस्तार करने हेतु स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और एम्बेडेड विनिर्माण क्षेत्र में कुशल स्नातकों की महत्वपूर्ण और बढ़ती मांग को पूरा करने के मुख्य उद्देश्य से आईआईटी मद्रास द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में चार वर्षीय ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस (बीएस) की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त, आईआईटी मद्रास द्वारा डेटा साइंस में बैचलर ऑफ साइंस (बीएस) डिग्री, फाउंडेशन, डिप्लोमा या बीएससी डिग्री स्तर पर पहले से ही निकास के विकल्पों के साथ प्रस्तुत की जा रही है। इस मामले में कोई भी व्यक्ति उम्र, स्थान या शैक्षणिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना आईआईटी से स्नातक की डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

एआईसीटीई ने पाठ्यक्रम संशोधनों में उद्योग के हितधारकों को शामिल करके इस दिशा में कृत्रिम बुद्धिमता, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और वीएलएसआई डिजाइन जैसे उभरते क्षेत्रों में मॉडल पाठ्यचर्या तैयार करना आदि जैसे कई कदम उठाए हैं। एआईसीटीई ने प्रशिक्षुता, कौशल विकास और फैकल्टी अपस्किलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख उद्योगों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस परिषद ने प्रशिक्षुता के लिए आदर्श दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे इंटर्नशिप पाठ्यचर्या का अनिवार्य घटक बन गया है। इसके अतिरिक्त, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच के अंतर को कम करने हेतु उद्योग अकादमिक गतिशीलता रूपरेखा शुरू की गई है, जिससे उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

****